भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2552

(दिनांक 04.12.2019 को उत्तर के लिए)

सूचना प्रदाता संरक्षण कानून

2552. श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 2014 में संसद द्वारा पारित सूचना प्रदाता संरक्षण कानून लागू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में आरटीआई कार्यकर्ता की हुई हत्या संबंधी ब्यौरा है और विभिन्न राज्यों द्वारा सूचना प्रदाता संरक्षण योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित हत्या के मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 17) को दिनांक 12 मई 2014 को अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान उस तारीख से प्रभावी होगें जो तारीख केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई अधिसूचना इस कारण से जारी नहीं की गई है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने से पहले भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता और राज्य की सुरक्षा आदि को प्रभावित करने वाले प्रकटन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अधिनियम में इन संशोधनों को करने के लिए, सरकार ने दिनांक 11 मई, 2015 को सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पुरःस्थापित किया था जिसे लोकसभा द्वारा दिनांक 13 मई, 2015 को पारित किया गया लेकिन राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा निष्फल रही। 16वीं लोकसभा के विघटन के उपरांत यह विधेयक व्यपगत हो गया है।

(ग) और (घ) इस विभाग द्वारा ऐसे किसी आंकड़े का केंद्रीकृत रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आदि जैसे मौजूदा कानूनों के ढांचे को आरटीआई कार्यकर्ता समेत सभी नागरिकों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

*****